रजिस्ट्री सं° डी° एल°-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 234] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 13, 1999/वैशाख 23, 1921
No. 234] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 13, 1999/VAISAKHA 23, 1921

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भा. चि. प. एवं होम्यो. विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मई, 1999

सा.का.नि. 346 (अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग में सलाहकार (यूनानी) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग में सलाहकार (यूनानी) भर्ती नियम, 1999 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और अन्य अर्हताएं.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन-सह-ज्येष्ठता या योग्यता के आधार पर चयन अथवा अचयन	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
सलाहकार (यूनानी)	1* (1998)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित अननुसचिवीय	18,400-500-22,400/- रु. + केन्द्रीय सरकार के आदेशानुसार अनुज्ञेय प्रैक्टिसबंदी भत्ता	योग्यता के आधार पर चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
11	12
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।	**प्रोन्नति** ऐसे मुख्य चिकित्सा अधिकारी (यूनानी) जिसने 12000-16500 रु. की श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है, जिसके न हो सकने पर ऐसा मुख्य चिकित्सा अधिकारी (यूनानी) जिसने मुख्य चिकित्सा अधिकारी (यूनानी) और ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी (यूनानी) की श्रेणी में तेरह वर्ष सम्मिलित नियमित सेवा की है जिसमें से चार वर्ष की नियमित सेवा मुख्य चिकित्सा अधिकारी (यूनानी) के रूप में होनी चाहिए। **स्पष्टीकरण :** इस स्तम्भ के प्रयोजन के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी (यूनानी) के अन्तर्गत उप सलाहकार (यूनानी) भी है।

11	12
	टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।

प्रतिनियुक्ति : जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।

केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/पब्लिक सैक्टर उपक्रमों/अर्धसरकारी/स्वशासी या कानूनी संगठनों के ऐसे अधिकारी :—

(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या

(ii) जिन्होंने 14,300-400-18,300 रु. के वेतनमान वाले या समतुल्य पदों पर तीन वर्ष नियमित सेवा की है, या

(iii) जिन्होंने 12,000-375-16,500 रु. के वेतनमान वाले या समतुल्य पदों पर आठ वर्ष नियमित सेवा की है, और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :—

(i) किसी मानयताप्राप्त विश्वविद्यालय/कानूनी राज्य बोर्ड/परिषद्/भारतीय आयुर्विज्ञान संकाय के यूनानी चिकित्सा में डिग्री या समतुल्य, जो भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के अधीन मान्यताप्राप्त हो।

(ii) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय रजिस्टर या भारतीय चिकित्सा राज्य रजिस्टर में नामांकित हो,

(iii) पन्द्रह वर्ष की वृत्ति/स्थायी वृत्ति।

पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति के लिए प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है। नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
13	14
समूह "क" विभागीय प्रान्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) 1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष 2. सचिव, भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी —सदस्य 3. महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं/अतिरिक्ति महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं —सदस्य	प्रतिनियुक्ति/संविदा पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[सं. 12011/1/96-आई. एस. एम. II]

लाल सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

(Department of I.S.M. and Homoeo.)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th May, 1999

G.S.R. 346(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Adviser (Unani) in the Department of Indian System of Medicines and Homoeopathy namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Adviser (Unani) in the Department of Indian System of Medicines and Homoeopathy Recruitment Rules, 1999.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limits and other qualifications.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (14) of the said schedule.

4. Disqualifications.—No person,—

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for theScheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

9

SCHEDULE

Name of Post	Number of Post	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether selection by merit or selection-cum-seniority or Non-selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible
1	2	3	4	5	6	7
Adviser (Unani)	1* (1998)	General Central Service Group 'A' Gazetted Non Ministerial	Rs. 18,400-500-22,400. Plus Non-practising Allowance admissible as per Central Government orders.	Selection-by merit	Not Applicable	Not Applicable

*Subject to variation dependent on work load.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any.
8	9	10
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made.
11	12
Promotion failing which by deputation including short-term contract.	**Promotion** : Chief Medical Officer (Unani) with eight years regular service in the grade of Rs. 12000-16500 failing which Chief Medical Officer (Unani) with thirteen years combined regular service in the grade of Chief Medical Officer (Unani) and Senior Medical Officer (Unani) out of which four years regular service should be in the grade of Chief Medical Officer (Unani). **Explanation** : For the purpose of this column, the Chief Medical Officer (Unani) shall include the Deputy Adviser (Unani). **Note :** Where Juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

1432 GI/99—2

12

Deputation (including short-term contract) :

Officers of Central Government/State Governments/Universities/Recognised Research Institutions/Public Sector Undertakings/Semi Government/Autonomous or Statutory Organisations :—

(a) (i) holding analogous posts on regular basis, or

(ii) with three years regular service in posts in the scale of Rs. 14,300-400-18,300 or equivalent; or

(iii) with eight years regular service in posts in the scale of Rs. 12000-375-16500 or equivalent; and

(b) possessing the following educational qualifications and experience :—

(i) A degree in Unani Medicine from a recognised University/Statutory State Board/ Council/Faculty of Indian Medicine or equivalent recognised under the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970).

(ii) Enrolment on the Central Register of Indian Medicine or a State Register of Indian Medicine,

(iii) Fifteen years standing in the profession.

The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(Period of deuptation/contract including period of deputation/contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/ Department of the Central Government shall not exceed five years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).

If a departmental promotion committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
13	14
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for promotion) 1. Chairman/Member, Union Public Service Commission—Chairman. 2. Secretary (Indian System of Medicine and Homoeopathy—Member. 3. Director General of Health Services/Additional Director General of Health Services — Member.	Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an Officer on deputation/contract.

[No. A. 12011/1/96-ISM (EI)]
LAL SINGH, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054—1999.